मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक/ 305/2025/26-2 भोपाल, दिनांक 17/04/2025

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का विवाह पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन क्रियान्वयन करने के संबंध में।

संदर्भ :- शासन का पत्र क्रं./एफ.03-39/2025/26-02/166 दिनांक 25/02/2025

विषयान्तर्गत लेख है प्रदेश में निवासरत कल्याणी महिला (विधवा महिला) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं जीवन की नवीन शुरूआत करने हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना वर्ष 2018 में प्रांरभ की गई। योजना अंतर्गत कल्याणियों को विवाह उपरांत राशि रू. 2.00 लाख आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन एन.आई.सी. म.प्र. द्वारा विकसित विवाह पोर्टल (https://vivahportal.mp.gov.in/) के माध्यम से किया जा रहा है, योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से विवाह पोर्टल पर पब्लिक डोमेन से ऑनलाईन आवेदन करने हेतु नवीन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उक्त सुविधा उपयोग कर पात्र महिलाएं योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकेगी। जिससे उन्हें आवेदन जमा करने हेतु कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

विवाह पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निम्नानुसार जानकारी समग्र पोर्टल पर अपडेट होना आवश्यक है :-

1. आवेदिका एवं उसके पति का आधार ई-केवायसी समग्र पोर्टल पर होना अनिवार्य है ।
2. समग्र पोर्टल पर वैवाहिक स्थिति विवाहित होना अनिवार्य है ।
3. 8 अंकों की समग्र परिवार आईडी एक ही होना अनिवार्य है।

पात्र महिलाएं निम्नानुसार ऑनलाईन आवेदन कर सकती है :-

1. विवाह पोर्टल (https://vivahportal.mp.gov.in/) को ओपन किया जाये
2. **कल्याणी विवाह हेतु आवेदन करें** पर क्लिक करें
3. योजना की पात्रता शर्तों का अध्ययन कर ऑनलाईन आवेदन करें
4. ऑनलाईन आवेदन पत्र में समस्त जानकारी अनिवार्यत: दर्ज करें
5. समस्त दस्तावेज की पठनीय प्रति को अनिवार्यत: अपलोड करें
6. समस्त जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत आवेदन को दर्ज करें।

उपरोक्तानुसार आवेदन करने के उपरांत आवेदन संबंधित जिला जहां की समग्र आईडी है, उस जिले में प्रदर्शित होगा, संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन एवं अपलोड किये गये दस्तावेज का परीक्षण कर लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आवेदन के निराकरण की समय-सीमा 30 कार्य दिवस में निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन को अनावश्यक जांच/दस्तावेजों के अभाव में लंबित नहीं रखा जाये। आवेदन में कोई दस्तावेज अथवा जॉच अपेक्षित भी हो तो उसका निराकरण भी निश्चित समय-सीमा में ही किया जाना अनिवार्य है। विलंब से निराकरण किये जाने पर संबंधित पदाभिहित अधिकारी के विरूध्द लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। स्वीकृति के उपरांत भुगतान की कार्यवाही कर भुगतान की जानकारी को पोर्टल पर दर्ज किया जाये।

यदि किसी आवेदिका द्वारा जिला कार्यालय में ऑफलाईन आवेदन दिया जाता है तो जिला कार्यालय उक्त आवेदन को विवाह पोर्टल पर लॉगईन कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन दर्ज करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आवेदन को ऑनलाईन करने हेतु आवेदिका को बाध्य नहीं किया जाये। समीक्षा हेतु विवाह पोर्टल पर डैशबोर्ड/ रिपोर्ट उपलब्ध है।

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)
प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
विभाग

पृ. क्रं./2025/306/2025/202 भोपाल, दिनांक 17/04/2025

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.।
3. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भोपाल, म.प्र. ।
4. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. की ओर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त आयुक्त नगर निगम, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., सतपुडा भवन, भोपाल, म.प्र ।
9. श्री योगेश सिंह, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी., म.प्र.।
10. समस्त संयुक्त संचालक /उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लंबित आवेदनों की समीक्षा कर निराकरण कराने की कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित करें।

प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
विभाग